

जम्मू परिक्षेत्र में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हालात का अध्ययन

सहदेव सिंह चौधरी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल (जयपुर)

प्रस्तावना

जम्मू क्षेत्र में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जीवनगत परिस्थितियाँ समकालीन भारत के आंतरिक विस्थापन के सबसे जटिल मसलों में से एक हैं। यह मुद्दा केवल भौगोलिक स्थान-परिवर्तन की कथा नहीं है। यह सुरक्षा, पहचान, स्मृति, रोजी-रोटी और भविष्य की संभावनाओं का बहुविमीय तंत्र है, जिसमें राज्य, समाज और समुदाय-स्तर के अनेक कारक परस्पर क्रियाशील हैं। कश्मीर घाटी से बड़े स्तर पर पलायन के पश्चात जम्मू परिक्षेत्र उनके प्राथमिक आश्रय-स्थल के रूप में उभरा, जहाँ शहरी मोहल्लों से लेकर बाहरी बस्तियों और पूर्ववर्ती राहत शिविरों तक-विभिन्न प्रकार के ठिकानों में पुनर्वास की विविध अवस्थाएँ दिखाई देती हैं। इस शोध-पत्र में विस्थापन की पृष्ठभूमि, जम्मू में बसावट की रूपरेखा, आवास और राहत व्यवस्थाएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता, सामाजिक-सांस्कृतिक अनुकूलन, लैंगिक और पीढ़ीगत अनुभवों का अंतर, प्रशासनिक ढाँचे और नीतिगत हस्तक्षेप, मनोसामाजिक प्रभाव, नागरिकता-सम्बद्ध अधिकारों का प्रश्न, और अंततः सतत पुनर्वास व गरिमामय वापसी के लिए सुझावों का विश्लेषणात्मक रोड़मैप प्रस्तुत है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कश्मीरी पंडित समुदाय की सांस्कृतिक पहचान कश्मीर की बहुस्तरीय सभ्यता का एक अविभाज्य अंग रही है।⁽¹⁾ ज्ञान-परंपरा, शिक्षा, शास्त्रीय अध्यवसाय और प्रशासनिक दक्षता ने इस समुदाय को घाटी की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान दिया। किंतु उथल-पुथल, असुरक्षा और हिंसक वातावरण ने 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर पलायन को जन्म दिया, जिसकी परिणति जम्मू परिक्षेत्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में समुदाय के पुनर्वास-प्रयासों के रूप में हुई। विस्थापन की यह यात्रा केवल सांख्यिकीय मापदंडों का विषय नहीं अपितु स्मृति-राजनीति, आघात और भविष्य के आत्म-निर्णय की आकांक्षाओं का भी दस्तावेज़ है। जम्मू में आकर समुदाय को एक ओर भौगोलिक निकटता का लाभ मिला दूसरी ओर जलवायु, भाषिक-उच्चारण, बाज़ार-संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक नौकरी परिवेश और सामाजिक संगति के नए समीकरणों से समायोजन की चुनौती भी सामने आई।

जम्मू की भौगोलिक और सामाजिक संरचना विस्थापित परिवारों के लिए मिश्रित स्थितियाँ निर्मित करती है। शहर के पुराने हिस्सों, उभरते उपनगरों और कस्बों में किराये के मकानों, संयुक्त परिवारों की अस्थायी-साझेदारी और सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी राहत आवासों की विविधता दिखाई देती है। प्रारंभिक वर्षों में तंबू, टिन-शेड और

सामूहिक डॉर्मिटरी जैसी व्यवस्थाएँ थीं जो वक्त के साथ पक्के आश्रयों में परिवर्तित हुईं। फिर भी आवास की गुणवत्ता में असमानता, जल-निकासी, शौचालय, बिजली आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच और स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी जैसी मूलभूत समस्याएँ कई स्थानों पर बनी रहीं। कुछ क्लस्टरों में बुनियादी ढाँचे का अपेक्षाकृत अच्छा विकास हुआ परन्तु घनत्व, निजता की कमी और सीमित सार्वजनिक स्थानों ने सामाजिक-मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। बहुमंजिला ट्रांज़िट आवासों में सुरक्षा और सामुदायिकता का अनुभव मिला किंतु स्थानाभाव और बालक-युवाओं के लिए खुली जगह की कमी जैसी बातें परिवार-कल्याण की दृष्टि से उभरीं।

आर्थिक दृष्टि से देखे तो विस्थापन ने आजीविका की स्थिति को बुनियादी रूप से बदल दिया। घाटी में स्थापित दुकानों, खेत-खलिहानों, सेवा-वाणिज्य के नेटवर्क और सरकारी-निजी नौकरियों की निरंतरता अचानक ठप्प हुई। जम्मू आकर शिक्षा-प्रधान समुदाय ने वैकल्पिक रोजगारों की तलाश की-अस्थायी शिक्षण, ट्यूशन, लघु व्यापार, आईटी और सेवा क्षेत्र की नौकरियाँ, कस्टमर सपोर्ट, बैंकिंग-बीमा, और छोटे-छोटे काम। सरकारी राहत और विशेष रोजगार पैकेजों का योगदान कई परिवारों के लिए जीवन-रेखा सिद्ध हुआ लेकिन समग्रता में रोजगार-स्थायित्व, कैरियर-प्रगति और योग्यता के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती बनी रही।⁽²⁾ महिलाओं ने शिक्षण, स्वास्थ्य-सहायक सेवाओं, कढ़ाई-बुनाई, होम-मेड फूड और सूक्ष्म-उद्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इससे गृह-आय में विविधीकरण तो हुआ पर श्रम-परिस्थितियों की असंगठित प्रकृति और सामाजिक सुरक्षा के अभाव ने संवेदनशीलता बढ़ाई। युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी, आईटी/ पैरामेडिकल/ स्किल-प्रोग्राम्स और स्टार्टअप की सोच नये रास्ते खोलती है किंतु पूँजी, मार्गदर्शन और बाज़ार तक पहुँच की बाधाएँ अभी भी उल्लेखनीय हैं।

विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हालात का अध्ययन-

विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हालात का अध्ययन हम विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुये कर रहे हैं क्योंकि विस्थापित कश्मीरी को के समक्ष

सांस्कृतिक पहचान का संकट- विस्थापित कश्मीर घाटी से बाहर आने के बाद अपने मंदिरों, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों से दूर हो गये हैं, जिससे संस्कृति की जड़ें कमजोर हुई हैं। घाटी में धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं किंतु सुरक्षा कारणों से बहुत से विस्थापित ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कुल 250 उत्तरदाताओं में से 120 (48%) ने माना कि वे घाटी में अपने धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ जाते हैं। वहीं 130 (52 प्रतिशत) उत्तरदाता स्वीकारते हैं कि वे घाटी में अपने धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ कभी नहीं जाते हैं। घाटी में दर्शनार्थ जाने वाले कुल 120 विस्थापितों में महिलाओं की तादाद कम है। घाटी में दर्शनार्थ जाने वालों में जहाँ महिलायें 30 (25 प्रतिशत) हैं वहीं पुरुष 90 (75 प्रतिशत) हैं। महिलाओं की तादाद इसलिये कम है क्योंकि उन्हें सुरक्षा की दोहरी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। एक महिला होने के नाते दूसरी आतंकवाद से। आयु वर्ग के दृष्टिकोण से विस्थापित दर्शनार्थियों का विश्लेषण किया जाये तो 18 से 30 आयु वर्ग के विस्थापित सबसे कम हैं। इनकी तादाद महज 16 (13.33 प्रतिशत) है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस आयु वर्ग के लोगों का जन्म विस्थापन के बाद कैंपों में हुआ है। 30-45 आयु वर्ग के दर्शनार्थी 24 (20 प्रतिशत) हैं। 45-

60 आयु वर्ग के दर्शनार्थी 35 (29.17 प्रतिशत) हैं। 60 से अधिक उम्र के दर्शनार्थी 45 (37.5 प्रतिशत) हैं। उम्रदराज लोगों में अपने धार्मिक स्थलों पर जाने की अभिलाषा अधिक गहरी है क्योंकि इनके अपने निजी अनुभव हैं। विस्थापित दर्शनार्थियों का शैक्षणिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाये तो 6 (5 प्रतिशत) निरक्षर, उच्च प्राथमिक स्तर के 12 (10 प्रतिशत), माध्यमिक स्तर 30 (25 प्रतिशत), उच्च माध्यमिक स्तर के 42 (35 प्रतिशत) और उच्च शिक्षा प्राप्त 30 (25 प्रतिशत) दर्शनार्थी घाटी में धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिये जाते हैं।

कश्मीर घाटी में विस्थापितों के धार्मिक स्थलों का क्षरण एक गंभीर समस्या है। विरान मंदिर रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहे हैं। मूर्तियां खण्डित हो रही हैं। बेशकीमती मूर्तियाँ तस्करों के निशाने पर रही हैं। इसका एक ताजा उदाहरण 10वीं शताब्दी की देवी दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी रूप में बनी मूर्ति है, यह मूर्ति 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के तेंगपोरा गांव के एक मंदिर से चुराई गई थी और बाद में यह मूर्ति जर्मनी के स्टेटगार्ट स्थित लैंडन म्यूज़ियम में पाई गई। इस मूर्ति को 5 अक्टूबर 2015 को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी।

कमजोर आर्थिक हालात- विस्थापित कश्मीरी पंडितों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत गंभीर और अस्थिर है। नब्बे के दशक से विस्थापित हुए इस समुदाय को स्थायी पुनर्वास और रोजगार की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विस्थापन के कारण घाटी में इनके खेत खलिहान, घर और कारोबार छूट गये। आज बहुत से विस्थापितों का जीवन राजकीय सहायता राशि पर चल रहा है। जम्मू में अलग-अलग ट्रांजिट शिविरों में रह रहे विस्थापितों के आर्थिक हालात का अनुभवमूलक अध्ययन किया गया है। विस्थापित परिवारों में 5000 से कम मासिक आय वाला एक भी परिवार नहीं है इसीलिए हमने पाई चार्ट में 5000 से कम आय वाले परिवारों का प्रदर्शन नहीं किया। सर्वाधिक 170 (68 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार 5001 से 15000/- आय वर्ग में आते हैं। इस आय वर्ग में इतने अधिक परिवार इसलिये भी हैं क्योंकि विस्थापित परिवारों को राजकीय सहायता तेरह हजार रुपए प्रतिमाह मिलती है। 50 (20 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवारों मासिक आय 15001 से 30000/- के मध्य है। केवल 30 (12 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 30000/- से अधिक है।

आवास की स्थिति- विस्थापितों के लिये आवास से जुड़ी कई तरह की समस्या है। बहुत से विस्थापित इस कैंप से उस कैंप सिफ्ट होते रहे हैं। एक बार बेघर होने के बाद घर के पते बदलते रहे हैं, ऐसे में आवास का स्थायित्व एक गंभीर समस्या है। जम्मू क्षेत्र में ही विस्थापित अलग-अलग कैंपों में रह रहे हैं। सभी कैंपों में आवास की स्थिति एक जैसी नहीं है। जगती टाऊनशिप में जहाँ फ्लैट्स हैं वहीं पुरखू व अन्य कैंपों में टिनशेड वाले दबड़ेनुमा घर हैं। जगती टाऊनशिप वाले फ्लैट्स का निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता नहीं है। एक दशक पुरानी ईमारत जर्जर हो रही है। रेजीडेसी की सड़क उखड़ चुकी है। दीवारों पर शीलन है और प्लास्टर गिर रहा है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के परिवार समय के साथ बढ़ रहे हैं किंतु आवास छोटे पड़ रहे हैं छोटे-छोटे कमरों के घरों में संयुक्त परिवारों का निवास करना एक चुनौती बन चुकी है। कुल 250 उत्तरदाताओं में 105 (42 प्रतिशत) उत्तरदाता बताते हैं कि उनके पास फ्लैट्स के रूप में पक्का मकान है। यद्यपि मकान का आकार पर्याप्त नहीं है। दूसरा फ्लैट्स के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव है। दीवारों पर नमी चढ़ी हुई है और प्लास्टर गिरता है। 145 (58 प्रतिशत) उत्तरदाता अभी भी टिन शेड्स से निर्मित दबड़ेनुमा घरों में

रह रहे हैं। पुरखू, मूठू, नगरोटा, मिश्रीवाला आदि शिविरों में आज भी टिन शेड्स ही हैं। उत्तरदाताओं को टेंट या शामियाने का भी विकल्प दिया गया था किंतु आज कोई भी विस्थापित टेंट या शामियाने में नहीं रहता है। आरेख संख्या 5.4 के दूसरे हिस्से में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनके आवास की मरम्मत की क्या व्यवस्था है। 105 (42 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि उनके आवास की एक निर्धारित अवधि में सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग मरम्मत करता है किंतु यह निर्माण गुणवत्ता के स्तर पर कमजोर है। वहीं 145 (58 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि उनके घर पक्के और पर्याप्त नहीं हैं। इनके टिन शेड्स से निर्मित घरों में मरम्मत स्वयं विस्थापित अपने खर्च पर कराते हैं। सरकार या सार्वजनिक निर्माण विभाग इन घरों में कोई पुनर्निर्माण का कार्य नहीं करते हैं।

राहत शिविरों में पेयजल, बिजली और शौचालय आदि आधारभूत सुविधाओं का संकट- पेयजल, विद्युत आपूर्ति और शौचालय हर मनुष्य की बुनियादी जरूरत है। दुनियाभर में इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ सहित कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। किंतु जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शिविरों में आज भी ये सुविधायें निर्बाध रूप से गुणवत्ता के साथ जारी नहीं रह पा रही हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ट्रांजिट कैम्पों में विस्थापितों का जीवन मुश्किल भरा है। शिविरों में साफ और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सीमित स्तर पर है। जलापूर्ति व्यवस्था अनियमित और अपर्याप्त होने के कारण अधिकांश परिवारों को दूषित जल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे जलजनित रोगों का खतरा बढ़ रहा है। कई दफा हैंडपंप या पाइपलाइनें वर्षों से मरम्मत की प्रतीक्षा कर रही होती हैं।

विस्थापितों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं- ट्रांजिट शिविरों में रह रहे अधिकांश विस्थापितों में पीटीएसडी(पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) की समस्या सामान्य है। पीटीएसडी का संबंध यों तो मानसिक स्वास्थ्य से है किंतु चिंता और विस्थापन की पीड़ा से उत्पन्न यह दर्द मधुमेय, उच्च रक्त चाप, हृदयघात आदि समस्याओं को जन्म देती है। दूषित पानी के चलते ट्रांजिट शिविरों में हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि बिमारियां पनप रही हैं। ट्रांजिट शिविर जम्मू के बाहरी हिस्से में बनाये गये हैं। ये क्षेत्र गहरे गड्ढों से युक्त उबाड़-खाबड़ है। यहाँ कंटली झाड़ियां हैं। यहाँ रात्रि के समय सांप बिछू का खतरा है। 'कश्मीर डॉक्यूमेंटेशन: पंडित इन एक्साइल-2021 के मुताबिक के 1991 से वर्ष 2020 तक जम्मू क्षेत्र में 634 लोग सर्प दंश के शिकार हुये हैं जिसमें 381 विस्थापितों को जान गंवानी पड़ी है। ट्रांजिट शिविरों में विस्थापितों के समक्ष सर्पदंश की समस्या बहुत गहरी रही है। पिछले तीन दशक में कुल 641 विस्थापित सर्पदंश के शिकार हुये हैं। इनमें 364 स्त्री हैं और 277 पुरुष हैं।(3) महिलाएं सर्पदंश की शिकार इसलिये भी ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें घरेलू कार्यों के लिये शिविर के गीले और उबड़-खाबड़ जगहों पर अधिक जाना पड़ता है। ईंधन और पेयजल की जिम्मेदारी अमूमन महिला निभाती हैं। साल दर साल सर्पदंश की घटना घट रही हैं। वर्ष 1991 से 2000 तक सर्पदंश कुल घटना 301 थी। 2001 से 2010 के मध्य यह घटकर 271 रह गई और फिर 2011 से 2020 के मध्य सर्पदंश की घटना घटकर महज 69 रह गई। यह इसलिये भी संभव हो पाया है क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है और रिहायशी हालात भी सुधरे हैं। विस्थापित पहले टेंट में रहे, फिर टिन शेड से बने घरों में और अब पक्के फ्लैट्स में रह रहे हैं। हालांकि सभी विस्थापितों को पक्के फ्लैट्स नहीं मिले हैं अभी भी विस्थापितों की बड़ी आबादी टिन शेड्स से निर्मित दबड़ेनुमा घरों में रह रही है।

नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति- अवसाद के चलते विस्थापितों में नशे की लत बढ़ रही है। विस्थापित लोग पीटीएसडी(पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) के चलते भी नशे के शिकार हो रहे हैं। विस्थापन के कड़े अनुभव उनके भीतर अवसाद को जन्म देते हैं और शराब, ड्रग्स आदि नशे के शिकार हो रहे हैं। ट्रांजिट कैंपों में रह रहे विस्थापितों में नशे की लत के स्तर को जानने के लिये उत्तरदाताओं से प्रश्न किये गये। कुल 250 उत्तरदाताओं में से हाँ कहने वाले कुल 103 (41.2 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि उनमें नशे की लत है। नशा करने वालों में 19 (18.44 प्रतिशत) महिलाएं भी हैं। 103 उत्तरदाताओं में से 12 (11.65 प्रतिशत) उत्तरदाता 18 से 30 आयु वर्ग के हैं। 19 (18.44 प्रतिशत) उत्तरदाता 31 से 45 आयु वर्ग हैं। (4) 38 (37.86 प्रतिशत) उत्तरदाता 46 से 60 आयु वर्ग के हैं। 33 (32.03 प्रतिशत) उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इस तरह विस्थापितों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुआयामी हो जाती है जिसमें सामाजिक, भौतिक, मानसिक और संरचनात्मक आयाम प्रभावी हो जाते हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट- एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के गहरे मापने हैं। यदि आपके राजनीतिक अधिकार सीमित हैं और राजनीतिक सहभागिता महज एक औपचारिकता है तो आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था की नजर से ओझल हो जाओगे। जम्मू में अलग-अलग ट्रांजिट कैंपों में रह रहे कश्मीरी पंडितों की स्थिति राजनीतिक अनाथ की हो गई है। (5) तकनीकी रूप से तो विस्थापित घाटी के जिन-जिन विधानसभा क्षेत्रों से विस्थापित हुये हैं उनके ये मतदाता भी हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को मतदान भी करते हैं। किंतु विस्थापित हिंदू कभी वोट डालने कश्मीर घाटी में अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं जाते हैं अपितु जिन ट्रांजिट शिविरों में रह रहे हैं वहीं पोलिंग बूथ लगते हैं और वहीं यह वोट डालते हैं। यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी है। प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत जिन 6000 विस्थापित कश्मीरी युवाओं को कश्मीर घाटी में नौकरी मिली है और वह अमूमन कश्मीर घाटी में ही अपने कार्य स्थल के पास के सुरक्षित ट्रांजिट शिविर में रहते हैं। उन्हें भी मतदान के लिये तीन दिन की छुट्टी मिलती है और वह जम्मू स्थित अपने ट्रांजिट शिविरों में मतदान करते हैं।

विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए मतदान का अधिकार एक रस्मअदायगी भर लगता है। विस्थापित कश्मीरी पंडित घाटी में ना तो अपने विधायक को जानते और ना ही सांसद को जानते। दूसरी तरफ उम्मीदवार भी विस्थापित कैंपों में रह रहे विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी नहीं जानते। ऐसे में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को न तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कोई आवाज मिलती है और ना ही लोकसभा में। लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य ना तो ट्रांजिट शिविरों में रह रहे विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हालात पूछने आते हैं और ना ही सांसद और विधायक कोष से मिलने वाले पैसे का कोई काम इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए करते हैं। (6) ऐसे में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक मजाक बनकर रह जाता है। इसलिए ज्यादातर विस्थापित कश्मीरी पंडित मतदान के समय नोटा के विकल्प पर जाते हैं। ऐसे में कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए लोकसभा और विधानसभा में अलग से कुछ सीट आरक्षित कर देने से प्रतिनिधित्व के संकट का क्या कोई समाधान हो सकता है? यही सवाल जम्मू में ट्रांजिट शिविरों में रह रहे विस्थापितों से पूछा गया। 250 उत्तरदाताओं में से 211 (84.4 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते हैं कि उन्हें लोकसभा और विधानसभा में विस्थापितों के लिये सीट आरक्षित होनी चाहिए, ताकि विस्थापितों विधानसभा और लोकसभा में आवाज मिल सके। वहीं 39 (15.6

प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि उन्हें इस विषय पर कोई स्पष्ट समझ नहीं है। उत्तरदाताओं को नहीं का भी विकल्प दिया गया था किंतु किसी भी उत्तरदाता ने इस विकल्प का चुनाव नहीं किया। अध्ययन में उत्तरदाताओं की आम राय यही रही है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीट आरक्षित करनी चाहिए।

5.3.9 सुरक्षा का संकट- कश्मीरी पंडितों के पलायन के पीछे मुख्य वजह सुरक्षा का अभाव रहा है। तीन दशक बाद भी कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा बोध हासिल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री राहत व पुनर्वास योजना के अन्तर्गत छः हजार विस्थापित युवाओं को कश्मीर घाटी में रोजगार दिया गया है। किंतु सुरक्षा की गहरी चुनौती इनको भी है। वर्ष 2020 से 2023 के मध्य कश्मीर में 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। ये सभी टारगेट किलिंग थी। इनमें अधिकांश की हत्या कार्यस्थल पर की गई। यद्यपि कश्मीर घाटी में काम करने वाले युवाओं के लिये प्रत्येक जिले में कैंप बनाये गये हैं। इन कैंपों को अर्द्धसैनिक बल सुरक्षा कवर देते हैं। कार्मिक नौकरी के बाद इन शिविरों में आकर रहते हैं। किंतु जिन कार्मिकों को निशाना बनाया गया वे या तो कार्यस्थल पर थे या फिर सफर में थे। कश्मीर घाटी में आठ सौ हिन्दू परिवार आज भी रह रहे हैं। ये परिवार तब भी कश्मीर घाटी से विस्थापित नहीं हुये थे, जब नब्बे के दशक में घाटी में आतंकवादी घटनाएं बहुतायत में थी। अप्रैल 2025 में पहलगांव घटना के बाद ये परिवार दहशत में हैं। जम्मू स्थिति ट्रांजिट शिविरों में कश्मीर पंडितों के लिये सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जगती टाऊनशिप में सिर्फ एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगती है। शेष ट्रांजिट शिविरों में एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। यद्यपि आज तक जम्मू के किसी भी ट्रांजिट शिविर में किसी भी तरह का आतंकवादी हमला नहीं हुआ।⁽⁷⁾ किंतु ऐसे किसी हमले का इंतजार नहीं किया जा सकता। विस्थापितों के लिये सुरक्षा बोध कराना राज्य का प्राथमिक दायित्व है।

निष्कर्ष

नीतिगत सुझावों को हम संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, आवास-नीति को 'गुणवत्ता-मानकों' से बाध्य किया जाए, पर्याप्त वेंटिलेशन, शौचालय/जल-आपूर्ति, खुला सार्वजनिक स्थान और बच्चों व बुजुर्गों के अनुकूल डिज़ाइन अनिवार्य हो। दूसरा, आजीविका-प्रोत्साहन में कौशल-मानचित्रण, बाज़ार-लिंक्ड प्रशिक्षण और सूक्ष्म-वित्त के साथ स्थानीय उद्योग-समूहों से सक्रिय साझेदारी सुनिश्चित हो। मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के लिए स्कूल-काउंसलिंग, युवा-क्लब, महिला-समूह और बुजुर्ग डे-केयर की संस्थागत व्यवस्था बने। कानूनी सहायता प्रकोष्ठ और डिजिटल भू-अभिलेख एकीकरण से संपत्ति/न्याय-प्रक्रियाओं का समयबद्ध निपटारा हो। डिजिटल समावेशन-पहचान, लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म-ग्रामीण शहरी सभी क्लस्टरों तक पहुँचे, साथ ही साइबर-सुरक्षा जागरूकता हो। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 'जीवित परंपरा' कार्यक्रम-भाषा, संगीत, पाक, शिल्प-को शिक्षा और उद्यमिता से जोड़ा जाए। 'वापसी बनाम स्थायित्व' हेतु स्वैच्छिक, चरणबद्ध और सुरक्षा-आधारित विकल्पों का टूलकिट उपलब्ध कराया जाए, जिसमें समुदाय की सूचित सहमति केंद्र में हो। मीडिया में संवेदनशील और तथ्य-आधारित प्रस्तुति को बढ़ावा दिया जाए, ताकि पूर्वाग्रहों के स्थान पर सहानुभूति और सहयोग पनपे। अंततः विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हालात को समझना, केवल किसी की पीड़ा को समझ लेना भर नहीं है अपितु यह गरिमा, अधिकार, सामुदायिकता और भविष्य-निर्माण के बहुस्तरीय संतुलन की खोज है। इस

खोज में राज्य सरकार की नीतियाँ, स्थानीय समाज की साझेदारी, और समुदाय की आंतरिक शक्ति आदि तीनों का समन्वय आवश्यक है। विस्थापन की दशकों लंबी धारा अब स्थायित्व की ओर मुड़े-यही कल्याणकारी राज्य, जीवंत नागरिक समाज और आत्माभिमान समुदाय, तीनों की साझी परीक्षा है। यदि यह समन्वय साधा गया तो जम्मू न केवल आश्रयस्थल अपितु सम्मान, अवसर और आत्म-विकास का ऐसा परिदृश्य बन सकता है, जिसका मॉडल देश के अन्य आंतरिक विस्थापन-प्रसंगों में भी लागू हो सके।

संदर्भ

1. कुसुम दत्त 'कश्मीर: इतिहास और संस्कृति' प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2008, पृ.सं.-106.
2. जगदीश चंद्र कपूर 'कश्मीर का प्राचीन इतिहास' प्रकाशक शोध विभाग, श्रीनगर, प्रथम संस्करण-1916, पृ.सं.-144.
3. अशोक कुमार पाण्डेय 'कश्मीरनामा: इतिहास और समकाल' राजपाल एण्ड संस प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण- अक्टूबर 2018, पृ.सं- 231.
4. डॉ.शबिन कृष्ण रैना 'विस्थापन की त्रासदी' इण्डिया नेटवर्क्स प्राइवेट लि. प्रकाशन, नोयडा (उ.प्र.), 2023, पृ.सं.-61.
5. अरूण शर्मा, 'सी.एम. मुफ्ती सईद रूल्स आऊट सेपरेट टाऊनशिप फॉर कश्मीरी पंडित' द इण्डियन एक्सप्रेस, संपादकीय 9 अप्रैल 2015.
6. हामिद शेख अब्दुल 'माइग्रेशन, रिटर्न एण्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पण्डित' शोध पत्र, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस, वार्षिक, अंक-13, वर्ष-2018, पृष्ठ संख्या-56.
7. नवीन कुमार मिश्रा 'कश्मीर का सच' देहली ऑपन बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022, पृ.सं.- 193.